

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी कुशल कुमार कोठारी आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 04/2016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर		1. राजकमल पंचारिया पुत्र श्री किशनलाल पंचारिया उम्र-40 वर्ष (एफबीओ/मालिक) जरिये फर्म मै.मण्डोर स्पाईसेज एण्ड प्रोप्रायटरी फूड प्रोडक्ट्स, एच-30, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, मथानिया, जिला जोधपुर निवासी-ग्राम आऊ, ब्राह्मणों का बास, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा
(2) (ii) एवं धारा 51 एवं धारा 52 के तहत

- उपस्थिति:-
1. प्रार्थी की ओर से विभागीय परोकार उपस्थित।
 2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जुगलकिशोर उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 21.12.2017

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 28.08.2015 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी गश्त चैकिंग मैसर्स मण्डोर स्पाईसेज एण्ड प्रोप्रायटरी फूड प्रोडक्ट्स, एच-30 रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, मथानिया जिला जोधपुर पर पहुंच कर निरीक्षण करने पर श्री राजकमल पंचारिया पुत्र श्री किशनलाल पंचारिया, उम्र 40 वर्ष (एफबीओ/मालिक), निवासी ग्राम आऊ, ब्राह्मणों का बास, तहसील फलोदी जिला जोधपुर उपस्थित मिले जो आम जनता को उपयोग हेतु वनस्पति, खाद्य तेल आदि का भण्डारण एवं निर्माण वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु कर रहे थे। विक्रेता से वर्ष 2015 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, जो इन्होंने पेश किया एवं वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी वेट-03 व फार्म बी प्रमाण, स्वयं का पहचान पत्र पेश किया। निर्माण स्थल पर निरीक्षण करने पर वनस्पति (ब्राण्ड एनर्जी गोल्ड) के 500 एम.एल. के 160 जार गत्ते के डिब्बों में आम जनता को विक्रय हेतु तैयार थे। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट/अमानक स्तर/मिथ्या छाप का शक होने पर रूबरू गवाहों श्री गोपालसिंह पुत्र प्रेमसिंह राजपूत, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम ताम्बरिया कल्ला, तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर एवं साथ गये श्री रजनीश शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर के सामने विक्रेता को प्रपत्र 5ए भरकर देकर रसीद प्राप्त की एवं विक्रेता को रूपये 200/- नगद देकर वनस्पति (ब्राण्ड एनर्जी गोल्ड) के 500 एम.एल. के 4 पैक्स वास्ते जांच खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं।

उक्त खरीदशुदा वनस्पति (ब्राण्ड एनर्जी गोल्ड) के चारों मूल पैकेट्स हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम-875 खाद्य पदार्थ

का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। प्रत्येक मूल पैकेट को अलग-अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम-875 हस्ताक्षर युक्त जिला अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदे तक गोंद से चिपकाई गयी एवं चारों नमूनों को अलग-अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार-चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेदे पर एक बाँडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रैपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना एम-875 सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की। जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की। जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया। उक्त सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा दिनांक 31.08.2015 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की।

प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया कि चारों नमूनों को अलग अलग भागों में एम-875 की जांच कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान जोधपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट फॉर्म बी संख्या एलएस/634/एक्ट/2015/641 दिनांक 09.09.2015 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जांच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ **वनस्पति (ब्राण्ड एनर्जी गोल्ड)** का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने पर **अमानक स्तर (Sub Standard/Does not conform)** एवं **मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया। प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ का भण्डारण एवं निर्माण वास्ते विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन पाये जाने से प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश मूल, गजट नोटिफिकेशन, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन एवं पदस्थापना आदेश कार्यक्षेत्र जोधपुर की प्रति, प्रपत्र 5ए, नमूना खरीद की रसीद व मौका फर्द मूल, एफएसएसए के तहत खाद्य अनुज्ञा पत्र संख्या 12212032000093, श्री राजकमल पंचारिया का पहचान पत्र (पेन कार्ड), श्री गोपालसिंह का पहचान पत्र (वाहन अनुज्ञप्ति पत्र), मण्डोर स्पाईसेज एण्ड प्रोप्रायटरी फूड प्रोडक्ट्स एच-30 रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, मथानिया जिला जोधपुर की प्राप्ति रसीद, वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी वेट-03 प्रमाण पत्र व फार्म बी प्रमाण पत्र की प्रति, नमूना संख्या एम-875 एवं सिल्ड लिफाफा प्रारूप VI जमा रसीद, खाद्य विश्लेषक को जमा रसीद (प्रारूप VI के पीछे), नमूना संख्या एम-875 के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सिल्ड भाग की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी को जमा जांच रिपोर्ट अग्रेषण पत्र 21290-91, जांच रिपोर्ट फार्म बी एलएस/634/एक्ट/2015/641 एवं न्याय निर्णयन स्वीकृति हेतु अभिहित अधिकारी को लिखा पत्र मूल प्रस्तुत किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से परिवाद प्राप्त होने पर दिनांक 18.02.16 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी करने पर अप्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता दिनांक 12.06.17 को उपस्थित होकर जवाब पेश किया जिसमें बताया कि अप्रार्थी की

फर्म रजिस्टर्ड है। अप्रार्थी की फर्म में वनस्पति (ब्राण्ड एनर्जी गोल्ड) के 500 एम.एल. के 160 जार होना बताया गया जो गलत है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.08.2015 को सेम्पल एम-875 लेकर दिनांक 31.08.2015 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा मानक प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाने में देरी का कोई कारण अंकित नहीं किया है तथा सेम्पल की रिपोर्ट अप्रार्थी को प्राप्त हो गयी हो ऐसा भी कोई सबूत पत्रावली में पेश नहीं है। प्रार्थना पत्र में यह लिखा है कि सील इम्प्रेशन कार्यालय में अंकित किया है जबकि सील का इम्प्रेशन मौके पर पर अंकित किया जाना चाहिए तथा जिसकी एक प्रति अप्रार्थी को भी दी जानी आवश्यक है। प्रार्थी को अमानक स्तर व मिथ्या छाप की जांच रिपोर्ट दिनांक 09.09.2015 को प्राप्त हो गयी थी जिसकी सूचना अप्रार्थी को दिया जाना आवश्यक था। सूचना नहीं देने के कारण प्राकृतिक न्याय का हनन हुआ है। एफ.एस.एल. रिपोर्ट में गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है, केवल विटामिन-ए विद्यमान नहीं होना पाया गया है लेकिन इसकी सूचना नहीं देने से अप्रार्थी अपने अपीलीय अधिकारों से वंचित हो गया तथा सेम्पल की रिपोर्ट देरी से आने से भी उक्त माल में कुछ फर्क आ सकता है। अतः अप्रार्थी द्वारा परिवाद का जवाब प्रस्तुत कर उसके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप करने का निवेदन किया गया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए प्रकरण को खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) द्वारा प्रस्तुत पत्रावली एवं खाद्य विश्लेषक राजस्थान जोधपुर की रिपोर्ट का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं बहस पर मनन करने पर पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन करने पर धारा 51 एवं धारा 52 के तहत दोषी है। अतः अप्रार्थी पर शास्ति रूपये 30,000/- (अक्षरे रूपये तीस हजार मात्र) आरोपित की जाती है, अभियुक्त अप्रार्थी उपरोक्त शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय) जोधपुर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 21.12.2017 के एक माह के अन्दर अन्दर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करे। निर्णय की प्रति समस्त संबंधित को भिजवायी जावे।

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 21.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुशल कुमार कोठारी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय)
जोधपुर